



राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
राज्य पी०सी०पी०एन०डी०टी० प्रकोष्ठ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ / 2009 / 275

दिनांक : 22/06/09.

आदेश

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 एवं गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 के उल्लंघन के संबंध में सहारा समय समाचार चैनल पर प्रसारित कोख में कत्ल के आरोपी चिकित्सक के विरुद्ध, थाना बजाज नगर, जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 262/06 में सीआईडी-सीबी/थाना पुलिस द्वारा न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम क्रम 13 जयपुर नगर जयपुर में पेश किये गये अन्तिम प्रतिवेदन संख्या 415/08 में माननीय न्यायालय की स्वीकृति लेकर आगामी कार्यवाही के रूप में प्रोटेस्ट पिटिशन पेश करने एवं नियमित पैरवी हेतु निदेशालय द्वारा पत्रांक 33 दिनांक 18.06.08 के जरिये नियुक्त केस प्रभारी अधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा०) को अधिकृत किया जाता है।

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी एवं  
शासन सचिव (प०क०)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निदेशक (प०क०) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
4. अति० निदेशक (प०क०) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
5. जिला समुचित प्राधिकारी एवं जिला कलेक्टर, जयपुर, राजस्थान।
6. जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।
7. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा०), जयपुर प्रथम।
8. सेंट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
9. रक्षित पत्रावली।

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी एवं  
शासन सचिव (प०क०)